WITWAVES
JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
Vol-1 Issue-1
(October 2024)

# ग्रामीण महिलाओ की उद्यमिता और सशक्तिकरण

**रूचि सिंह**
**शोधार्थी, ग्रामीण प्रबंधन**
**महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र)**

**सारांश**

आज चुनौती इस बात की है, कि हम कैसे मिलजुल कर इन कम पढ़ी लिखी व घर परिवार के दायरे में सिमटी महिलाओं को आर्थिक रुप से जोड़कर सशक्त बना सकेंगे। इसके लिए स्वयं सहायता समूह जैसे संस्थान सार्थक पहल का माध्यम बन सके। ताकि महिलाएँ इन संस्थाओं की मदद से अपनी छोटी-छोटी बचत से मिलजुल कर अपने हुनर को दिखाते हुए वस्तुओं व सेवाओं का निर्माण कर सके व उनकी बिक्री से आय अर्जित कर अपने पैरो पर खडी हो सकेतथा स्वावलम्बी बन सकें। इसके अतिरिक्त महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के साथ ही निर्णय होने की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी भी अति आवश्यक है। यहाँ ग्रामीण शिक्षित महिलाएँ एवं महिला जन प्रतिनिधियों सन्निकट अवस्थिति शहरी, बालिकाएँ, अध्यापिकाओं का भी यह कर्त्तव्य व दायित्व बन जाता है कि वे ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाये ताकि इन ग्रामीण महिलाओं के सर्वांगीण विकास और कल्याण के कार्यक्रमों का पूरी ताकत और इच्छाशक्ति के साथ निर्वहन कर सके। अंततः ग्रामीण आर्थिक महिला एक बेहद अमूल्य संसाधन है और गाँवो में महिलाओं के बीच बढ़ती हुई। सशक्तिकरण प्रवृति स्वागत योग्य है।

**बीज शब्द**

ग्रामीण, स्वावलंबी, आर्थिक, सशक्तिकरण, अमूल्य सौद्धान्तिक, विमर्श व्याख्या।

## भूमिका

महिला सशक्तिकरण का संवाद सशक्तिकरण की सैद्धान्तिक व्याख्या से होना चाहिए जिसका सामान्य अर्थ महिलाओं की उन शक्तियों या क्षमताओं के निर्माण से है जिससे वे स्वंय निर्णय लेने की स्थिति में आ जायें। इस व्याख्या में क्षमताओं की वृद्धि प्रमुख आग्रह है। यह क्षमता, प्रत्येक क्षेत्र में हो सकती है। सामान्य विश्लेषण में आर्थिक क्षमताओं की वृद्धि साफतौर पर नजर आने लगती है और इनके परिणामों को आसानी से नापा जा सकता है।

**शोध विस्तार**

सशक्तिकरण के विमर्श में एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि सशक्तिकरण के कार्य में संलग्न कौन हो ? इस बहस में यह आवश्यक है कि हम उन स्थितियों को भी रेखांकित करें जो महिला समूहों की कमजोर स्थितियों के लिए जिम्मेदार है, इस चर्चा में हमारा अनिवार्य सन्दर्भ राज्य ही है जहाँ महिलाओं की ग्रामीण आर्थिक स्थिति उनके उद्मिता के बारे में गम्भीर दुहरापन है और दुविधा है। शाब्दिक स्तर पर समानता और सम्मान के साथ महिला प्रसंग और महिला स्थितियों को अभिव्यक्त किया गया है। उनके साथ आर्थिक न्याय के स्थान पर आर्थिक असमानता एवं विसंगतियाँ विचलित करने वाली परिस्थिति है। इन विसंगतियों से उबरने के लिए भारतीय सन्दर्भ में राज्य ग्रामीण महिला आर्थिक सशक्तिकरण का उल्लेख करना आवश्यक है क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात् स्पष्ट रुप से यह निर्धारित किया गया है कि राज्य इन विषम आर्थिक स्थितियों से छुटकारा दिलाने का माध्यम होगा, राज्य उन सब परिस्थितियों में हस्तक्षेप करेगा जो महिलाओं की असमानता और असमानजनक स्थितियों के लिए उत्तरदायी है। यह स्वरुप उन सब सन्दर्भों में उल्लेखनीय हो गया जहाँ आर्थिक समानताओं के लिए उसका हस्तक्षेप आवश्यक था। भारतीय सन्दर्भ में ही एक महत्वपूर्ण दस्तावेज को याद करना गलत नहीं होगा। नेहरु के 15 अगस्त 1947 के वक्तव्य में उल्लेख था-"कि हमारे यहाँ आँसुओं से भरी अनेक आँखे है और उन आँखों से आँसुओ को दूर करना हमारा कर्त्तव्य होगा। हमारा कर्तव्य राज्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्योंकि विकासशील देशों के सन्दर्भ में राज्य महत्वपूर्ण नियामक और हस्तक्षेप था, जिसकी प्रमुख भूमिका के साथ ही साथ आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य भूमिकाएँ भी थी।"[1] वह न केवल विकास की योजनाओं का आयोजक ही था वरन वह विकास की योजनाओं का वितरक भी था। यह अलग विमर्श का विषय हो सकता है कि राज्य को जितने व्यापक और कठोर कदम उठाने चाहिए थे वे कदम यह नहीं उठाने चाहिए थे वे कदम वह नहीं उठा पाया किन्तु आर्थिक क्षेत्र में वह एक हस्तक्षेप और नियामक की भूमिका में तो था ही।

इस पृष्ठभूमि में जहाँ महिलाओं की प्रस्थिति विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति जो भारतीय सन्दर्भ में है, उनके अभावों और वंचनाओं का ही विस्तार इस प्रक्रिया में देखा जा सकता है। हमारा अपना प्रयास राजस्थान राज्य की ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण के सन्दर्भ में प्रस्तुत करने का है। वर्तमान में भारत के विभिन्न राज्यों में ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्तर में गुणात्मक सुधार भी आया है। मुख्यतः इन राज्यों की अर्थव्यवस्था मुख्य रुप से कृषि कार्यों एवं पशुपालन पर ही निर्भर करती है। इस संदर्भ में गाँवों को राज्य विकास की धुरी कहा जाये तो, कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। 2021 की जनगणना के नवीन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत की कुल जनसंख्या का 75.1 प्रतिशत भाग गाँवों में निवास करता है। जिसमें आधी

आबादी महिलाओं की है। अर्थात कुल ग्रामीण जनसंख्या में इनका प्रतिशत 75.3 है। अतः अर्थव्यवस्था के विकास में इन महिलाओं की प्रभावपूर्ण भागीदारी आवश्यक और अनिवार्य मानी जानी चाहिए। ज्ञातव्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जीविकोपार्जन का प्रमुख माध्यम यथा कृषि, पशुपालन एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्यों में महिलाओं की अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं जीवन्त भागीदारी होती है। सरकारी ऑकड़ों में भी कृषि व पशुपालन कार्यों में ग्रामीण महिलाओं का योगदान को रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि देश में खेतिहर मजदूरों व स्वरोजगार में व्यक्तियों में आधी संख्या महिलाओं की है। स्पष्ट है कि महिलाएँ किसी भी राष्ट्र एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। ये ग्रामीण महिलाएँ हर कदम, हर राह पर पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करती है। खेतों की बुआई में, रोग कीट व खरपतवारों के नियंत्रण में फसलों की सिंचाई व्यवस्था तथा फसलों की कटाई से लेकर खलिहान तक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एक सर्वेक्षण के आधार पर खेती के कार्यों में महिलाओं का योगदान 55 प्रतिशत से भी अधिक है। फूड एंड एग्रीकल्चर आर्गनाइजेशन के एक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जहाँ एक पुरुष प्रति वर्ष, प्रति हेक्टेयर औसतन 12-12 घंटे कार्य करता है।

वहीं एक महिला औसतन 3485 घंटे कार्य करती है। अगर हम इन ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक च आर्थिक रुप से और भी सशक्त बना सके तथा छोटे बड़े घरेलू उद्योगों से जोड़ सके तो यहीं महिलाएँ अपना एवं अलग अस्तित्व बनाने में सक्षम होगी, जो उनके परिवार का मार्गदर्शक बनेगा एवं बच्चों की शिक्षा स्तर, स्वच्छता व उनके विकास में अहम भूमिका निभाएगा। किन्तु विश्व विकास के परिप्रेक्ष्य में राज्य को महिलाओं के निम्न स्तर, पुरुष प्रधान समाज, सामन्ती प्रथाएँ एवं मूल्यों, जातीय आधार पर घटित सामाजिक ध्रुवीकरण, अशिक्षा, दरिद्रता के पर्याय स्वरुप देखा जाता रहा है।

यह सर्वविदित है कि देश के राज्यों में राजस्थान की ग्रामीण महिलाएँ एवं बालिकाएँ निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, दमन, सामाजिक भेदभाव, दरिद्रता एवं निर्धनता के भार से अधिक दबी हुई है। बाल विवाह प्रथा की निरन्तरता एवं कन्याओं को पराया धन समझने की प्रवृतियों से बहुत सी बालिकाओं का बचपन नष्ट हो जाता है तथा वे कोमल आयु में ही घर की जिम्मेंदारियों में डूब जाती है। वहीं शिक्षा एवं रोजगार के लिए घरों से बाहर निकलने वाली महिलाओं को परम्परागत, सामाजिक तंत्र की सुरक्षा से आगे भी सुरक्षा की आवश्यकता है जो पर्याप्त रुप से उपलब्ध नहीं है। नये सामाजिक मूल्यों, प्रभावी कानून एवं प्रवर्तन प्रथाओं के अभाव में राज्य की इन ग्रामीण महिलाओं को एक गंभीर संक्रमण काल से गुजरना पड़ रहा है। वास्तव में यह चुनौतीपूर्ण समय है दयनीय स्तर एवं विषय जीवन परिस्थितियों के रहते हुए भी, इस राज्य की ग्रामीण महिलाएँ अपने साहस, ताकत एवं दृढ़ निश्चय के लिए विख्यात है। ऐसे

कठोर वातावरण में जीना, जहाँ पानी एवं ईंधन की व्यवस्था हेतु घंटे कठोर परिश्रम करना पड़े अपने आप में एक प्रमुख उपलब्धि है। वहीं दूसरी ओर यह उल्लेखनीय है कि यहाँ की ग्रामीण महिलाएँ अपनी कलात्मक भावना, गायन नृत्य एवं पारम्परिक कलाओं एवं सडकों पर कठिन कार्य के वातावरण में कठोर मेहनत करने की अपनी क्षमता के लिए सुप्रसिद्ध है। वही ये महिलाएँ दिल्ली व अन्य पड़ोसी राज्यों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कठिन परिश्रम करती हुई भी देखी जा सकती है।"[2]

कुछ ग्रामीण महिलाएँ सामाजिक व आर्थिक रुप से अपनी अलग पहचान बनाने में सफल हुई है किन्तु इनकी संख्या नगण्य है। ज्ञातव्य है कि कृषि व पशुपालन कार्यों के संलग्न ये ग्रामीण महिलाएँ निरक्षरता, परम्परागत बंधनों, रुढ़ियों व अंधविश्वासों के चक्रव्यूह में जकड़ी हुई है। इसके साथ ही कृषि, पशुपालन व अन्य पारिवारिक दायित्वों को पूर्ण करने में ही उनका महत्वपूर्ण समय व्यतीत हो जाता है। ऐसी स्थिति में निरक्षरता, समयाभाव व रुचि के अभाव होने से ये महिलाएँ उन्नत कृषि उपकरणों, नवीन तकनीकी शिक्षा व ज्ञान से अनभिज्ञ रह जाती है। कारण हमारा पुरुष प्रधान समाज है, जो इन ग्रामीण महिलाओं के श्रम को एक मदद के रुप में तथा एक पारिवारिक दायित्व के रुप में मानकर उन्हें पूर्ण रुप से वेतनविहीन बना देता है। अर्थात उनके श्रम को महत्व ही नहीं दिया जाता है। जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास व प्रगति में इन महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय है। लेकिन विशेष रुप से दक्षिण ग्रामीण भारत की महिलाओं के तुलनात्मक रुप से पिछड़ी हुई है। दक्षिणी भारत की ग्रामीण महिलाओं में कही ज्यादा अधिक श्रेष्ठ है। अतः महिलाओं की सहभागिता को सही दिशा में प्रोन्नत करने हेतु उनका सशक्तिकरण अत्यन्त आवश्यक है।

स्पष्ट है कि अधिकांश ग्रामीण महिलाएँ कृषि, पशुपालन, वानिकी, ईंट-भट्टों आदि असंगठित व प्राथमिक क्षेत्रों में अधिक से अधिक कार्यरत है। तथा वर्तमान तकनीकी शिक्षा तक पहुँच न हो पाने से शिक्षा के निम्न स्तर, पारिवारिक एवं घरेलू कार्यों का बोझ व निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण अनेक प्रकार के शोषण का दंश झेलने को विवश है। इस प्रकार असंगठित क्षेत्रो तक सीमित रह जाने के कारण ये महिलाएँ न्यूनतम वेतन, मातृत्व व प्रसूति लाभ वैतनिक अवकाश तथा सामाजिक सुरक्षा, योजनाओं से वंचित रह जाती है। वर्तमान आँकड़ों के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं का कृषि व उससे सम्बन्धित गतिविधियों में योगदान इस क्षेत्र के रोजगार का 36 प्रतिशत है जबकि सेवा क्षेत्र में इनकी भागीदारी 19.07 प्रतिशत है। दूसरी तरफ उद्योगों में मात्र 12.42 प्रतिशत है। इस प्रकार ये महिलाएँ असंगठित क्षेत्र में नियोजित है जहाँ उत्पादकता औसत, वेतन कम, शोषण च भेदभाव की लकीरें ज्यादा विद्यमान है। परिवार के भरण पोषण का दायित्य, गरीबी का दंश व मुखिया की निम्न आय होने के

कारण इन श्रमिक महिलाओं के लिए काम करना मजबूरी बन जाता है अतः इच्छुक होते हुए भी ये ग्रामीण महिलाएँ न तो नवीन प्रोद्योगिकी से जुड़ पाती है न ही शोषण का प्रतिरोध व प्रतिकार कर पाती है। इस संदर्भ में अल्या मिर्दल तथा वायोला क्लापान ने अपनी पुस्तक "वीमेन टू रोल्स" में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि "प्रशिक्षण प्राप्त एवं व्यावसायिक धंधो की परिधि में कार्य का वितरण लैंगिक आधार पर हुआ हो, ऐसा दिखाई पडता है। महिला स्वातंत्रय का केवल इतना प्रभाव दिखाई देता है कि महिलाओं के क्षेत्र गिने जाते थे, उनमें अकुशल के बदले कुशल एवं प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को स्थान दिया जा रहा है। परम्परा से, जो व्यवसाय पुरुषों के व्यवसाय के रुप में अलग माने जाते थे, उन्हे छोडने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। यद्यपि कुछ समय से परम्परागत पुरुष क्षेत्र में महिलाओं का छुट-पुट अस्तित्व दिखाई पड़ता है किन्तु उनको पुरुषों की तुलना में महत्व नहीं है।"[3]

राज्य में ग्रामीण महिला आर्थिक सशक्तिकरण की दशा ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को जागरुक एवं सतर्कता स्थापित करने हेतु दो तत्व सबसे अधिक सार्थक भूमिका निभाते है। (अ) शिक्षा (ब) आर्थिक स्वावलम्बन। ये तत्व न केवल इन महिलाओं में स्वाभिमान और आत्मविश्वास पैदा करते है जबकि उन्हें हर दृष्टि से सशक्त और अधिकार सम्पन्न बनाने में भी सहायक है। महिलाएँ जो कि विकास की मुख्य धारा से बाहर है, उन्हे शिक्षित बनाना हमारा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस संबंध में राधाकृष्णन आयोग ने कहा है कि स्त्रियों कि शिक्षित हुए बिना किसी समाज की प्रगति असम्भव है।"[4]

सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गाँवों के सरकारी विद्यालयों के विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में व उनकी गुणवत्ता स्तर को बढ़ाने हेतु प्रयास किये जा रहे है किन्तु अभी भी ग्रामीण स्तर तक उनकी पहुँच बहुत ही निम्न है। जिसमें अँग्रेजी, गणित, विज्ञान का स्तर, जो कि शैक्षिक विकास की नींव माना जाता है  शून्य है। जिसके कारण ग्रामीण महिलाएँ शहरी महिलाएँ की शैक्षिक स्थिति की तुलना में पिछड़ी हुई है। उन्हे अपनी शैक्षिक स्थिति को मजबूत करने हेतु व नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए या तो गाँव से पलायन करना पड़ता है या फिर सामान्य शिक्षा में ही संतुष्ट रहना पड़ता है। कुछ परिवारों की स्थिति तो इतनी दयनीय होती है कि वे अपनी बालिकाओं को सामान्य शिक्षा भी प्रदान नहीं करवा पाते है। राज्य की ग्रामीण महिलाओं की वर्तमान साक्षरता दर से यह अनुमान भली-भाँति लगाया जा सकता है, जहाँ शिक्षा प्रसार हेतु सरकार द्वारा इतने प्रयास किये जाने के बावजूद ग्रामीण महिलाएँ की तुलना साक्षरता दर मात्र 45.8 प्रतिशत है जो शहरी महिलाओं की तुलना में अत्यन्त कम व शोचनीय स्थिति है।

अतः आज के संदर्भ में यह अत्यन्त आवश्यक है कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण मजबूत हो जिसके लिए गाँवो के विद्यालय में सामान्य शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाये व गरीब परिवारों की बालिकाओं तक उस शिक्षा की पहुँच हो ताकि वे आगे चलकर आर्थिक स्वावलम्बन बन पाये। कृषि उत्पादकता वृद्धि व प्रौद्योगिकी को प्रचार-प्रसार हेतु संचार साधनों की सशक्त व प्रभावी भूमिका अपेक्षित है। राष्ट्रीय किसान आयोग ने एक ग्राम संसाधन केन्द्र स्थापित करने की अनुसंसा की है ताकि खण्ड स्तरीय केन्द्रो को ग्राम स्तरीय केन्द्र या ज्ञान चौपालों से जोड़ा जा सके जिसके माध्यम से ग्रामीण महिलाएँ इंटरनेट या टेलीफोन के द्वारा कृषि से सम्बन्धित आवश्यक व उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सके। हम यहाँ भटिण्डा तथा केरल के कई गाँवों का उदाहरण ले सकते है जहाँ महिलाओं के द्वारा सम्पादित कृषि व दुग्ध उत्पादन के विकास में इंटरनेट की भूमिका सराहनीय है। जहाँ नाबार्ड की भूमिका भी प्रभावी बन जाती है जो महिलाओं को नव विकसित प्रौद्योगिकी की जानकारी प्रदान कर रहा है किन्तु हम यहाँ समस्या फिर से महिलाओं की निरक्षरता पर टिक जाती है जो बैंक संबंधित कार्यों के लिए भी अपने पति पर निर्भर है। अतः इस निर्भरता को समाप्त करने हेतु महिला को साक्षर व अपने कार्यों हेतु बनना महत्ती आवश्यक है।

आर्थिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र है जहाँ लैंगिक भेदभाव एवं अत्याचार सबसे अधिक है। विडम्बना है कि महिला के नेतृत्व वालो व्यापारी में पैसा लगाने में निवेषक भी हिचकिचाते है। तथापि महिलाओं के नेतृत्व वाले वित्तीय संसाधनों पर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता है। अर्थात आज आवश्यकता है कि वे ग्रामीण महिलाएँ जो कृषि कार्यों के साथ- साथ अपना स्वयं का व्यवसाय कार्यों में संलग्न है, उन्हें बढ़ावा दिया जाये तथा भेदभाव न करते हुए उन्हे फंडिंग संसाधनों की जानकारी दी जावे।

कंसल्टेंसी फर्म 'मेंकिंडो ग्लोबल इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अगर काम काजी महिला व पुरुषों में भेदभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो साल 2025 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद को 188 लाख करोड़ फीसदी अतिरिक्त फायदा होगा तथा विकास दर भी 2.4 फीसदी ज्यादा हो सकती है और इसी तरह राज्य के संदर्भ में भी ये स्थिति की तुलना में पिछड़ी हुई है। उन्हे अपनी शैक्षिक अर्थव्यवस्था 6.8 करोड और कामकाजी महिलाएं योगदान दे। गाँवों में अपने रीति-रिवाज होते है तथा साथ ही शहरों की तुलना गाँयों में परिवारों में अधिक जुहाव रहता है जहाँ महिलाओं को परम्परा के अन्तर्गत रहना पड़ता है। इन परम्पराओं के रहते इन ग्रामीण महिलाओं को बाहर का कोई भी कार्य स्वतंत्र रूप से करने की आजादी नहीं होती है। ऐसे में हिन्दुस्तान जिंक द्वारा गठित स्वंय साध्यता समूह जो महिलाओं के आर्थिक तंत्र को मजबूत करने के लिए बनाए गये, उसकी उपयोगिता को घर के मुखिया व बुजुर्गों को गहन रुप से

समझाना पड़ा अपने परम्परागत व्यवसाय से बाहर आने को ये ग्रामीण परिवार तैयार ही नहीं होते है, ऐसे में महिलाओं को बाहर भेजने का तो प्रश्न ही नहीं उठता । अतः इस दिशा में समाज की सोच को परिवर्तित करने हेतु निरन्तर प्रयास अपेक्षित है।"[5]

राज्य में ग्रामीण महिला आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा उदारीकरण व वैश्वीकरण के युग में आर्थिक विकास की गति को तीव्र बनाये रखना राजस्थान राज्य के लिए एक चुनौती है। राजस्थान राज्य में जहाँ कृषि परिस्थितियाँ विषम है महिला विकास आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस आर्थिक विकास की गति को तीव्र बनाये रखने हेतु यह भी उतना आवश्यक है कि इसमें राज्य की आधी आबादी यानी महिलाओं को भागीदारी बनाये जाये ताकि आश्रित जनसंख्या में कमी हो तथा कार्यशील आबादी का विस्तार हो जो कि अन्ततोंगत्वा राष्ट्रीय सकल उत्पादन में न केवल वृद्धि करेगा बल्कि राज्य के विकास में गतिशील सुधार करेगा।

**निष्कर्ष**

व्यापक रुप से यह स्वीकार किया जाता है कि ग्रामीण स्तर पर कृषि, पशुओं की देखभाल, वन उत्पादों के संग्रड, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में मजदूर श्रमिक, खाद्य प्रसंस्करण में गृह आधारित कार्य, हस्तकला एवं लघु व्यापार तथा अन्य असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी को अनदेखा कर दिया जाता है। गृहस्थी में महिलाओं के सम्पूर्ण योगदान के बावजूद उन्हें प्रायः परजीवी तथा परिवार के अनुत्पादक सदस्य के रुप में माना जाता है। इन ग्रामीण महिलाओं के कार्य की अदृष्यता एवं स्वयं द्वारा अर्जित धनराशि पर उनका नियंत्रण न होने के कारण परिवार, समाज एवं आर्थिक क्षेत्रों में भी महिलाओं की भूमिका को अब तक नगण्य समझा गया है। महिलाओं को मजबूरन अनौपचारिक क्षेत्र में तथा कम कौशल एवं कम वेतन वाले व्यवसायों में काम करना स्वीकार करना पड़ता है। इन महिलाओं के लिए सरकार द्वारा संचालित आर्थिक विकास कार्यक्रम भी महिलाओं में कौशल विकास आय अर्जन, आत्मविश्वास पैदा करने, गतिशीलता प्रदान करने व जागरुकता पैदा करने में समग्र रुप से सफल नहीं रहे है। स्पष्ट है कि महिलाओं की एवं उनके सामाजिक विषय का निश्चय उनकी शिक्षा व ज्ञान के माध्यम से बौद्धिक संसाधनो तक उनकी पहुँच, सकारात्मक आत्मसम्मान तथा सामूहिक एवं आर्थिक संसाधनों में उनकी सहभागिता के आधार पर किया जा सकता है।

विगत 50 वर्षों में आय संवर्धन के विभिन्न कार्यक्रमों में सारा दबाव आय अर्जित करने पर रहा है। परन्तु उस भाव पर उनका स्वंय का नियंत्रण हो पाने के कारण आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। "इसकी महत्ता को स्वीकार करते हुए सरकार

भी महिलाओं को वित्तीय एवं आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने के लिए कृत संकल्प है।"[6] जो इस हेतु आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा अति आवश्यक है -

1. ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी के रूप में अपनी भूमिका निभाने हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाये।
2. महिला समूहों एवं सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहन दिया जाये।
3. महिलाओं को अपनी बात कहने व मनवाने की क्षमता को बढ़ावा दिया जाये व उनमें आत्मविश्वास बढ़ाया जाए। प्रशिक्षण, कौशल विकास एवं प्रबंध में सुधार किया जाये।
4. ग्रामीण महिलाओं के योगदान को मान्यता दी जाये।
5. महिला उद्यमियों को पर्याप्त रूप से प्रोत्साहन दिया जाये ।
6. समान कार्य के लिए समान वेतन तथा कार्य स्थलों पर भेदभाव न बरतने की नीति को प्रोत्साहित किया जाये।
7. ग्रामीण महिलाओं हेतु औपचारिक क्षेत्र में प्रवेश एवं विकास प्रणाली को सुगम बनाया जाये। औपचारिक संस्थाओं में समय में परिवर्तन की सुविधा दी जाए।

## संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कौशिक आशा/नारी सशक्तिकरण विमर्श एवं यथार्थ/ पृष्ठ 117
2. शर्मा प्रज्ञा/महिला विकास और सशक्तिकरण/पृष्ठ 123
3. मोदी अनिता/महिला सशक्तिकरण विविध आयाम/पृष्ठ 85
4. पालीवाल सुभाषिणी/ श्मारत में महिलाओं की शिक्षा और साक्षरता/ पृष्ठ- 17
5. प्रकाश रत्न/भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास/ पृष्ठ- 45
6. राजकुमार/महिला एवं विकास/ पृष्ठ123.